

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 56/2016

वादीगण

1. तुलछाराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजुराम पुत्र बुधाराम
2. उमाराम पुत्र राजुराम
3. हेमाराम पुत्र राजुराम
4. हनुमानराम पुत्र जवानाराम
5. आशाराम पुत्र जवानाराम
6. नारायणराम पुत्र जवानाराम
7. गोपीलाल पुत्र जवानाराम
8. पूर्णराम पुत्र जवानाराम
9. चैनाराम पुत्र जवानाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी
10. पेमाराम पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम हाल निवासी ग्राम चारणवास
11. श्रीमती अन्जुदेवी पत्नि पूर्णराम
12. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नि चैनाराम
13. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि नारायणराम
14. श्रीमती कमला देवी पत्नि गोपीलाल जाति समस्त जाट निवासी ग्राम चारणवास
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, भू-विभाजन एवं रेकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रति. 1 से 9 तथा 11 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 11/2/17

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं 11 ता 14 एक ही खानदान के सदस्य हैं जिनका सजरा खानदान निम्नवत है:-



राजस्व ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 2.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 4.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.09


उपखण्ड अधिकारी
एवं पट्टेन महाद्वक वरिष्ठ
कचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 8.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.35 हैक्टर कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 16.89 हैक्टर में खसरा नम्बर 214, 215, 216 में 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी, खसरा नम्बर 236 में से भूमि रकबा 1.90 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी, खसरा नम्बर 156 में 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी, खसरा नम्बर 233 से 236, 275 कुल खसरा सं. 5 कुल रकबा 9.09 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 राजुराम तथा भूमि रकबा 2.01 हैक्टर में वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 उमाराम, प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम व प्रतिवादी सं. 10 पेमाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की आई हुई है व ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 175 रकबा 3.29 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 उमाराम व प्रतिवादी सं. 5 आशाराम के नाम तथा खसरा नम्बर 181 कुल रकबा 7.06 हैक्टर में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 राजुराम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 14 कमला देवी के नाम व खसरा नम्बर 113 कुल रकबा 1.09 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 राजुराम व प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी के नाम तथा खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 1.10 हैक्टर वादी तुलछाराम के नाम तथा ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.80 हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 5.35 हैक्टर कुल खसरा सं. 4 कुल रकबा 5.82 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के नाम खातेदारी की आई हुई है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने अपने सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि का बंटवारा काश्त की सुविधा, भूमियों के उपजाउपन को मद्देनजर रखते हुए आपसी सहमती से निम्न मुताबिक बंटवारा कर मौके पर अलग-अलग काबिज चले आ रहे हैं, निम्न भूमि ग्राम चारणवास में स्थित है :-

खसरा नं.	रकबा	हक- हिस्सा
156	2.79 हैक्टर	पश्चिमी तरफ की भूमि रकबा 1.395 हैक्टर वादी तुलछाराम के तथा पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 1.395 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी के कब्जे काश्त में है इसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 12 व 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
214	4.63 हैक्टर	में से दक्षिणी तरफ की भूमि रकबा 2.67 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम के तथा उत्तरी तरफ की भूमि रकबा 1.96 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 अन्जु देवी के कब्जे काश्त में है इसमें वादी तथा प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 ता 12 व 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
215	0.19 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.19 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 व 12 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
216	0.19 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.19 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी के कब्जा काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 व 12 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
233	0.01 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. कुआ प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी व प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 व 13, 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
234	0.09 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.09 हैक्टर गै.मु. ढाणी प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी व प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 व 13, 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
235	0.03 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. हौज प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम व प्रतिवादी सं. 2 उमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 4 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।

अपने
 एवं नये नये
 ()

236	8.61 हैक्टर	में से उत्तरी पश्चिमी तरफ से भूमि रकबा 1.5228 हैक्टर प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 व 13, 14 का कब्जा काश्त नहीं है। में से दक्षिण पश्चिमी तरफ से भूमि रकबा 5.2321 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 उमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है। में से पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 1.8551 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
275	0.35 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.35 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 उमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
कुल रकबा	16.89 हैक्टर	
175	3.29 हैक्टर	में से पश्चिम तरफ की भूमि रकबा 1.645 हैक्टर वादी तुलछाराम के कब्जे काश्त में है तथा इसी खसरा नम्बर के मध्य से भूमि रकबा 0.8225 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी के कब्जे काश्त में है तथा इसी खसरा नम्बर में पूर्वी तरफ से भूमि रकबा 0.8225 हैक्टर प्रतिवादी सं. 14 कमला देवी के कब्जे काश्त में है। इसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 12 का कब्जा काश्त नहीं है।
181	7.06 हैक्टर	में से पश्चिम तरफ की भूमि रकबा 3.53 हैक्टर वादी तुलछाराम के कब्जे काश्त में है तथा इसी खसरा नम्बर की पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 3.53 हैक्टर प्रतिवादी सं. 14 कमलादेवी के कब्जे काश्त में है इसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 13 का कब्जा काश्त नहीं है।
113	1.09 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.09 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 व 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
117	1.10 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.10 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 4 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
228	0.26 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमान राम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
229	0.13 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.13 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
230	0.08 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.08 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 14 का कब्जा काश्त नहीं है।
231	5.35 हैक्टर	में से पश्चिम व दक्षिणी तरफ से भूमि रकबा 2.15 हैक्टर प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी के कब्जे काश्त में है तथा इसी खसरा नम्बर के उत्तरी व पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 3.20 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम के कब्जे काश्त में है इसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 11, 13, 14 का कब्जा काश्त नहीं है।


 एवं पदम अधिकारी (अधीक्षक)
 सुबानगर (अधीक्षक)

नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 वाद पत्र के पेरा सं. 2 में वर्णित हक— हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में मुताबित बंटवारा खातेदारी दर्ज नहीं होकर भिन्न दर्ज है। हाल ही में वादी ने प्रतिवादीगण को मुताबित कब्जा काश्त राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो उन्होंने किसी प्रकार की दिल्खवस्पी नहीं दिखाई। राजस्व ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 156, 214, 215, 216, 233, 234, 235, 236, 275 कुल रकबा 16.89 हैक्टर में स्थित भूमि रकबा 2.01 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के साथ प्रतिवादी सं. 10 का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से प्रतिवादी सं. 10 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। मुताबिक बंटवारा के अपने— अपने हक व हिस्से की भूमि पर निर्विवाद रूप से जायज काबिज कृषक चले आ रहे हैं। वादी ने हाल ही में मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज हेतु पटवारी हल्का को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अतः अधिकारों की सुरक्षार्थ यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध लाना लाजमी हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि राजस्व ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 156, 214, 215, 216, 233, 234, 235, 236, 275 कुल रकबा 16.89 हैक्टर, ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 175 कुल रकबा 3.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 कुल रकबा 7.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 कुल रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 1.10 हैक्टर तथा ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 228, 229, 230, 231 कुल रकबा 5.82 हैक्टर में वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित हक— हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 काबिज कृषक हैं जिसकी घोषणा खातेदारी, इस्तकरार हक व भू-विभाजन की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर राजस्व रेकॉर्ड में मुताबिक कब्जा काश्त अमल अरामद हेतु प्रतिवादीगण संख्या 15 को आदेश प्रदान करावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं 11 से 14 ने उपस्थित होकर राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 एवं 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुताबिक राजीनामा पक्षकारान अपना अपना हिस्सा अलग कराना चाहते हैं तथा पैतृक भूमि होने से खातेदारी में से कुछ सदस्यों के नाम हटाकर सेपरेट होल्डिंग कायम कराना चाहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या दस का मौके पर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से नाम हटाये जाने का निवेदन किया है, दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान बताया कि प्रतिवादी संख्या दस के नाम भूमि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रय की गई थी, जो वरवक्त विद्युत कनेक्शन नहीं होने से पेमाराम पुत्र दल्लाराम का नाम फोरमल खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसका आज दिन तक उक्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त भी लागू होता है, अतः प्रतिवादी संख्या दस का नाम खातेदारी से हटाया जावे। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः वाद मुताबिक राजीनामा एवं उपलब्ध नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किया जावे तथा शेष अन्य खातेदारान का नाम हटाकर पक्षकारान की अलग अलग खातेदारी दर्ज की जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम चारणवास सम्वत 2072-2075 खसरा नम्बर 175 रकबा 3.29 हैक्टर में उमाराम पुत्र राजूराम आशाराम पुत्र जवानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहि उमाराम पुत्र राजूराम का हि. आई.सी.आई.सी. शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन नामा.सं. 348 दिनांक. 22.11.16 के द्वारा सम्पूर्ण खाता रहनमुक्त हुआ। खसरा नम्बर 181 रकबा 7.06 हैक्टर में कमलादेवी पत्नी गोपीलाल 1/2 हिस्सा राजूराम पुत्र बुधाराम 1/2 हिस्सा कौम जाट सा. देह खातेदार। खसरा नम्बर 113

रकबा 1.09 हैक्टर भंवरीदेवी पत्नी नारायणराम राजुराम पुत्र बुधाराम कौम जाट सा. देह खातेदार। खसरा नम्बर 117 रकबा 1.10 हैक्टर तुलछाराम पुत्र राजुराम कौम जाट सा. देह खातेदार। खसरा नम्बर 228 रकबा 0.26 हैक्टर खसरा नम्बर 229 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 230 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 5.35 हैक्टर कुल रकबा 5.82 हैक्टर में, हनुमानराम पुत्र जवानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। 156 रकबा 2.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 4.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 8.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.35 हैक्टर कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 16.89 हैक्टर में जवानाराम पुत्र बुधाराम (जवानाराम के स्थान पर) खसरा नम्बर 214 215 216 में अन्जुदेवी पत्नी पूर्णराम खसरा नम्बर 236 रकबा 8.61 हैक्टर में से 1.90 हैक्टर दुर्गादेवी पत्नी चैनाराम खसरा नम्बर 156 रकबा 2.79 हैक्टर में भंवरीदेवी पत्नी नारायणराम, खसरा नम्बर 233 से 236 एवं 275 कुल रकबा 9.09 हैक्टर राजुराम पुत्र बुधाराम जाति जाट सा. देह 1/2 हि. उमाराम हेमाराम तुलछाराम पि. राजुराम जाट पेमाराम पुत्र दल्लाराम जाट सा. मोतीपुरा हाल सा. देह हि. 2.01 हैक्टर राजुराम पुत्र बुधाराम हि. 6.44 दर हिस्सा 1/2 जाति जाट का हिस्सा 6.44 हैक्टर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया मूर्तहीन, नामा. सं. 310 दिनांक 03.5.2016 के द्वारा राजुराम पुत्र बुधाराम का हिस्सा रहन मुक्त दर्ज किया गया पक्षकारान में लोक अदालत की भावना से उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी अलग अलग कराना चाही है, प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम ही खातेदारी में दर्ज रखे जाने के कथन किये है जिसके कारण राजीनाम एवं नजरी नक्शा अनुसार अपनी अपनी जोत अलग कराना चाहते है जिससे भविष्य में किसान क्रेडिट कार्ड एवं इत्यादि कार्य समय पर हो सके। उपलब्ध साक्ष्य एवं वकील वादी की बहस मुताबिक राजीनामा एवं उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वाद वादी डिक्री काबिल योग्य पाया गया। अतः निम्न प्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है तथा नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	हक- हिस्सा
चारणवास	156	2.79 हैक्टर	पश्चिमी तरफ की भूमि रकबा 1.395 हैक्टर त्रादी तुलछाराम के तथा पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 1.395 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	214	4.63 हैक्टर	में से दक्षिणी तरफ की भूमि रकबा 2.67 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम के तथा उत्तरी तरफ की भूमि रकबा 1.96 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	215	0.19 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.19 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	216	0.19 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.19 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 अन्जु देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	233	0.01 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. कुआ प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी व प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसमें शेष खातेदारान का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	234	0.09 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.09 हैक्टर गै.मु. ढाणी प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी व प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसमें शेष खातेदारान का नाम हटाया जाता है।

44
 एवं पक्षकारान (को)
 बुधाराम पुत्र राजुराम

चारणवास	235	0.03 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. हाँज प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम व प्रतिवादी सं. 2 उमाराम के कब्जे काश्त में है इसमें शेष खातेदारान का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	236	8.61 हैक्टर	में से उत्तरी पश्चिमी तरफ से भूमि रकबा 1.5228 हैक्टर प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। में से दक्षिण पश्चिमी तरफ से भूमि रकबा 5.2321 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 उमाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। में से पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 1.8551 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	275	0.35 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.35 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 उमाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसमें से शेष खातेदारान का नाम हटाया जाता है।
कुल रकबा		16.89 हैक्टर	
चारणवास	175	3.29 हैक्टर	में से पश्चिमी तरफ की भूमि रकबा 1.645 हैक्टर वादी तुलछाराम को तथा इसी खसरा नम्बर के मध्य से भूमि रकबा 0.8225 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी को तथा इसी खसरा नम्बर में पूर्वी तरफ से भूमि रकबा 0.8225 हैक्टर प्रतिवादी सं. 14 कमला देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसमें प्रतिवादी सं. 3 एवं 5 का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	181	7.06 हैक्टर	में से पश्चिमी तरफ की भूमि रकबा 3.53 हैक्टर वादी तुलछाराम को तथा इसी खसरा नम्बर की पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 3.53 हैक्टर प्रतिवादी सं. 14 कमलादेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसमें प्रतिवादी सं. 1 राजुराम का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	113	1.09 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.09 हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 भंवरी देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	117	1.10 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.10 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 हेमाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसमें वादी का नाम हटाया जाता है।
चारणवास	228	0.26 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमान राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	229	0.13 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.13 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	230	0.08 हैक्टर	सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.08 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
चारणवास	231	5.35 हैक्टर	में से पश्चिम व दक्षिणी तरफ से भूमि रकबा 2.15 हैक्टर प्रतिवादी सं. 12 दुर्गा देवी को तथा इसी खसरा नम्बर के उत्तरी व पूर्वी तरफ की भूमि रकबा 3.20 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4 हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/11/17 को लोक अदालत में सुनाया गया।

(महेश्वरी मीणा)
सुपरीवेड अधिकारी
एवं कुचामनसिटी (नाम्न)
कुचामनसिटी (नाम्न)